मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि0 भोपाल

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

ऊर्जा भवन, मुख्य मार्गक्रं 2,शिवाजी नगर, भोपाल–462016

निविदा क्रमांक – ऊविनि / भवन रख रखाव / 2023 / 3486 भोपाल,दिनांक 05.12.2023

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के मुख्यालय 'ऊर्जा भवन' में स्थित सभी कक्षों, वॉशरूमों, कॉरीडोरों, छतों, बाह्य परिसर, खिड़की, दरवाजे एवं फर्नीचर की साफ सफाई हेतु अनुभवी व्यक्ति / संस्थाओं से दरों के मानकीकरण के लिये ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दस्तावेजों का अवलोकन एवं क्रय वेब साईट https://mptenders.gov.in/nicgep/app पर निर्धारित शुल्क देय उपरांत किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें निगम की वेब साईट www.mprenewable.nic.in पर देखा जा सकता है।

प्रभारी, भवन संधारण

1. निविदा शिड्यूलः–

क्र.	निविदा चरण	दिनांक	समय
1	निविदा प्रपत्र का ऑनलाईन डाउनलोडिंग एवं क्रय	**06.12.2023**	**अपरान्ह 04.00 बजे से**
2	निविदा प्रपत्र का ऑनलाईन जमा करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय	**07.12.2023**	**पूर्वान्ह 09.00 बजे से**
3	निविदा प्रपत्र का ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	**26.12.2023**	**अपरान्ह 03.00 बजे**
4	निविदा प्रपत्र का तकनीकी प्रस्ताव खोलने की संभावित तिथि एवं समय	**27.12.2023**	**अपरान्ह 03.00 बजे**
5	निविदा प्रपत्र का वित्तीय प्रस्ताव खोलने की संभावित तिथि एवं समय	**29.12.2023**	**अपरान्ह 03.00 बजे से**

निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 5900/– (रूपये पाँच हजार नौ सौ मात्र, 18% GST सहित) (वापसी योग्य नहीं) का भुगतान ऑनलाईन नेट बैंकिंग/NEFT/RTGS द्वारा किया जाना होगा।

2. धरोहर राशि :–

2.1 निविदाकर्ता इकाई को धरोहर राशि के रूप में रू. 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) का भुगतान ऑनलाईन नेट बैंकिंग/NEFT/RTGS द्वारा mptenders की पोर्टल पर किया जाना होगा। निविदा का क्रय वेब साईट https://mptenders.gov.in/nicgep/app के द्वारा किया जा सकता है।

2.2 म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. में पहले से जमा धरोहर राशि अथवा अन्य कोई राशि अथवा किसी देयक के विरूद्ध राशि को इस निविदा की धरोहर राशि के रूप में मान्य करने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

2.3 निविदाकर्ता इकाई को उनके द्वारा दिये गये ऑफर को वापिस लेने अथवा उसमें परिवर्तन करने या शर्तो तथा दशाओं में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। यदि न्यूनतम दर पाई जाने वाली निविदाकर्ता इकाई निगम के साथ अनुबंध नहीं करती है तो इसकी धरोहर राशि रू. 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) जब्त कर ली जावेगी।

2.4 धरोहर राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नही होगा।

3. अर्हतायें:-

3.1 निविदाकर्ता इकाई का वैध जीएसटी नम्बर एवं स्थाई आयकर लेखा संख्या होना अनिवार्य है, जिसे निविदा के साथ अपलोड किया जाना अति आवश्यक है। वैध दस्तावेज अपलोड न होने की स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

3.2 निविदाकर्ता/निविदाकर्ता संस्था को साफ–सफाई कार्य का शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में विगत 03 वर्षो के मेकेनाइज सफाई कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। तत्संबंधी संस्थाओं के कार्यादेश/अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

3.3 निविदाकर्ता/निविदाकर्ता संस्था के पास साफ–सफाई कार्य हेतु वेक्यूम क्लीनर, ब्लोअर, सीढी, स्टूल एवं सफाई के कार्य हेतु आवश्यक सामग्री एवं उनके संचालन हेतु अनुभवी कर्मियों को होना अनिवार्य है।

3.4 निविदाकर्ता / निविदाकर्ता संस्था का साफ–सफाई (House Keeping) के कार्य का विगत तीन वर्ष का टर्नओवर जो रू. 50.00 लाख (पचास लाख) प्रति वर्ष होना अनिवार्य है। इस बाबत् चाटर्ड एकाउन्टेन्ट (सी.ए.) का प्रमाण पत्र एवं बैलेंस शीट की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3.5 सफल निविदाकर्ता जिन्हें कार्य आवंटित होगा के सफाई कर्मियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिये। सफाई कर्मचारियों के लिये नीले रंग का हाउसकोट एवं नीले रंग की टोपी का यूनिफार्म धारण कर एवं उसके नाम की पट्टिका एवं निविदाकर्ता का फोटोयुक्त परिचय पत्र धारण करना अनिवार्य होगा।

3.6 सफल निविदाकर्ता जिन्हें कार्य आवंटित होगा के सफाई कर्मियों की शारीरिक क्षमता इतनी होनी चाहिये कि वह सीढी अथवा स्टूल पर चढकर ऊंची जगहों की एवं छत की व्यवस्थित साफ सफाई करने में सक्षम हों।

4. <u>निविदा का तैयार किया जाना तथा अपलोड किया जाना</u> :–

4.1 निविदाकर्ता इकाई को अर्हताओं से संबंधित स्वसत्यापित (सील एवं हस्ताक्षरित) दस्तावेजों का अपलोड किया जाना अनिवार्य है। निविदा का मूल्य रू. 5900 / – (रूपये पाँच हजार नौ सौ) 18% GST सहित तथा धरोहर राशि रू. 50,000 / – (रूपये पचास हजार मात्र) के नेट बैंकिंग / NEFT/ RTGS किये जाने का प्रमाण निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

4.2 दरों को अनुसूची ''ई'' में भरा जावे।

4.3 सर्वप्रथम निविदाकर्ताओं की तकनीकी बिड खोली जायेगी तथा उनकी अर्हताओं का तथा तकनीकी बिड के अन्य कागजातों का परीक्षण किया जायेगा। प्राइस बिड केवल उन्ही निविदाकर्ताओं की खोली जायेगी, जो तकनीकी बिड से सफल होंगे।

5. <u>निविदा स्वीकार करने का अधिकार</u> :–

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि. को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार अथवा आंशिक रूप से स्वीकार कर सकेगें। प्रबंध संचालक, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी निविदाकर्ताओं पर बंधनकारी होगा।

6. <u>निविदायें की शर्तें</u> :–

6.1 निविदा के माध्यम से ऊर्जा भवन परिसर में साफ–सफाई का कार्य किये जाने हेतु दरों को मानकीकृत किया जावेगा, जिसमें प्राप्त न्यूनतम दर मानकीकृत की जावेगी।

6.2 कार्यादेश जारी करने से पूर्व न्यूनतम दर प्राप्त इकाई को धरोहर राशि रू. 50,000 / – (रूपये पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट (राष्ट्रीयकृत बैंक) जो म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. के नाम से भोपाल में देय होगा, जमा किया जाना होगा।

6.3 निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली इकाई अगर निगम की आवश्यकतानुसार ऊर्जा भवन परिसर में साफ–सफाई कराने में सक्षम नही होती है अथवा निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली इकाई की सेवायें संतोषजनक न होने की स्थिति में निगम निविदा में सम्मिलित होने वाली अन्य निविदाकर्ताओं से न्यूनतम मानकीकृत दरों पर निविदा की शर्तोनुसार ऊर्जा भवन परिसर में साफ–सफाई पर लेने के लिये स्वतंत्र होगा।

6.4 म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. के अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके करीबी रिश्तेदार/संबंधी इस निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

6.5 अनुबंधित इकाई जिसे निगम द्वारा कार्य दिया गया है किसी अन्य इकाई व्यक्ति को कार्य नहीं दे सकती है।

6.6 निविदा अहस्तांतरणीय है।

6.7 कार्यादेश के आधार पर निगम द्वारा कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। किसी कमर्शियल बैंक/संस्था से लोन हेतु निगम इकाई की अनुशंसा नहीं करेगा।

6.8 ऊर्जा भवन परिसर में साफ–सफाई हेतु अनुबंध की समयावधि में वृद्धि एवं सेवा निरस्त करने के समस्त अधिकार प्रबंध संचालक म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. भोपाल के रहेंगे।

6.9 निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर इकाई से निगम दो वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध निष्पादित करेगा एवं दो वर्ष के अनुबंध की अवधि के पश्चात् निविदाकर्ता इकाई एवं म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. की आपसी सहमति से अनुबंध एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष अतिरिक्त बढ़ाया जा सकेगा। निर्धारित अवधि के पूर्व अनुबंध को किसी भी समय प्रबंध संचालक म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

6.10 साफ–सफाई के लिये उपयोग होने वाली सामग्री पर हुये व्ययों को निगम वहन नहीं करेगा।

7. <u>भुगतान की शर्तें</u> :–

7.1 निविदा की कार्य शर्तों एवं आवश्यकतानुसार भवन रखरखाव कक्ष द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन अनुबंधकर्ता इकाई को करना होगा। प्रत्येक माह की सफाई का कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इकाई द्वारा प्रस्तुत देयक तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने के उपरांत देयक का भुगतान किया जावेगा। जिसमें जी.एस.टी. की राशि पृथक से दर्शाई जानी होगी।

7.2 निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत देयकों का भुगतान रेखांकित चैक अथवा नेटबैंकिग द्वारा किया जावेगा। निगम द्वारा किसी भी प्रकार के बैंक शुल्क आदि वहन नहीं किये जावेगें।

7.3 निविदाकर्ता इकाई को भुगतान देयक के साथ ई.पी.एफ. की ई.सी.आर., ई.एस.आई., जी.एस.टी.आर–1 जमा संबंधी प्रमाण, चालान आदि प्रस्तुत करना होगा।

7.4 किन्ही कारणों से यदि भुगतान में विलंब होता है तो निविदाकर्ता को किसी ब्याज या अन्य दावों की पात्रता नहीं होगी।

7.5 निविदाकर्ता से सभी वैधानिक/शासकीय शुल्कों की कटौत्री करनी हो तो वो नियमानुसार की जावेगी।

7.6 निविदाकर्ता को प्रतिमाह भुगतान की जाने वाली राशि में से नियमित आयकर कटौत्री एवं जी.एस.टी.,टी.डी.एस. की कटौत्री नियमानुसार निगम द्वारा की जाकर उसका कटौत्री प्रमाणपत्र निविदाकर्ता के पक्ष में जारी किया जावेगा।

7.7 निविदाकर्ता द्वारा साफ सफाई हेतु प्रतिमाह प्रस्तुत की जाने वाली दरों में केन्द्र एवं राज्य शासन के सभी प्रकार के शुल्क एवं कर (जी.एस.टी. को छोडकर) इत्यादि सम्मिलित होने चाहिये। निविदाकर्ता द्वारा निविदा में प्रस्तुत राशि के अतिरिक्त (जी.एस.टी. को छोडकर) अन्य कोई भुगतान ऊर्जा विकास निगम द्वारा अनुबंधकर्ता इकाई को नहीं किया जावेगा।

7.8 निविदाकर्ता को जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. निविदा के कार्यो की शर्तेः—

8.1 अनुबंधकर्ता इकाई को ऊर्जा भवन के साफ—सफाई कार्यो हेतु नियमित रूप से छह कर्मियों की सेवा उपलब्ध करानी होगी, जिनमें दो महिला कर्मी होना अनिवार्य है।

8.2 अनुबंधकर्ता इकाई को साफ—सफाई के कार्य में लगाये जाने वाले कर्मियों की सूचना भवन रख—रखाव कक्ष में देना अनिवार्य होगी। कोई भी सफाई कर्मी संदेहास्पद चरित्र का नहीं होना चाहिये।

8.3 साफ सफाई कार्य संलग्न अनुसूची ''अ, ब, एवं स'' में दर्शित कार्यों को प्रतिदिन/प्रति सप्ताह, पाक्षिक रूप से करना अनिवार्य होगा। अवकाश के दिनों में भी साफ सफाई कार्य किया जाना होगा।

8.4 अनुबंधकर्ता इकाई को पर्याप्त सफाई कर्मचारी प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक कार्यालय में रखने होंगे। नियुक्त सफाई कर्मचारियों का निगम से कोई सीधा भुगतान नहीं होगा एवं सफाई कर्मियों का कोई वैधानिक या अन्य किसी प्रकार का दायित्व निगम का नहीं रहेगा।

8.5 साफ सफाई कार्य हेतु निविदा की अनुसूची ''अ, ब, एवं स'' में दर्शित कार्यो को संपादित किये जाने हेतु उपयोग में आने वाली समस्त सामग्रियॉ जो अनुसूची ''द'' में उल्लेखित है की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था ठेकेदार को स्वंय करना होगी।

8.6 साफ सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जिसका उल्लेख अनुसूची ''द'' में है की पर्याप्त मात्रा की अनुपलब्धता के कारण सफाई की गुणवत्ता प्रभावित होने पर निविदाकर्ता का अनुबंध निरस्त कर उस दिन तक का लंबित भुगतान एवं धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

8.7 आपातकालीन स्थिति अथवा किसी विशेष आयोजन पर भवन रख रखाव कक्ष द्वारा सफाई व्यवस्था हेतु दिये गये निर्देशों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।

8.8 शासकीय अवकाश (रविवार को छोड़कर) के दिन कमरे, हॉल इत्यादि को छोड़कर शेष सभी जगहों की साफ—सफाई अनुसूची ''अ,ब, स'' के अनुसार होगी।

8.9 निविदा की अनुसूची ''अ,ब,स'' में दर्शित कार्यों कों संपादित किये जाने हेतु निविदाकर्ता को पर्याप्त सफाई कर्मी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

8.10 ऊर्जा भवन में स्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के कक्षों की साफ—सफाई का कार्य प्रातः 10.00 बजे के पूर्व किया जाना अनिवार्य होगा ताकि कार्यालय का संचालन निर्धारित समय पर प्रारंभ हो सके।

8.11 साफ—सफाई कार्य हेतु अनुसूची ''द'' में दर्शित सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता एवं पर्याप्त सफाई कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का पूर्ण दायित्व अनुबंधकर्ता इकाई का होगा। सामग्री की कमी से सफाई की गुणवत्ता प्रभावित होने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।

8.12 शिकायत पुस्तिका भवन रख रखाव कक्ष में अनिवार्यतः रखा जाना होगा जो सप्ताह के अंत में प्रभारी अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा।

8.13 भवन की उचित साफ—सफाई ना होने, किसी अधिकारी की शिकायत आने, निरीक्षण में लापरवाही, अथवा अन्य कोई अनियमितताएं एवं निविदा की शर्तों का उल्लघंन करने पर प्रति प्रकरण रूपये 500/—तक का आर्थिक दण्ड अनुबंधकर्ता इकाई पर करने का अधिकार ऊर्जा विकास निगम को होगा, जिसकी कटौत्री मासिक देयक में से की जावेगी।

8.14 पूर्ण सफाई का कचरा नगर निगम/ऊर्जा निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर बिना फैलाये हुये सुरक्षित तरीके से ऊर्जा निगम परिसर के बाहर पहुंचाना होगा।

8.15 अनुबंधकर्ता इकाई द्वारा किया गया साफ सफाई संबंधी कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है अथवा स्वंय साफ—सफाई करने में यदि असफल होते हैं तो प्रबंध संचालक म.प्र ऊर्जा

विकास निगम द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा एवं निविदाकर्ता की धरोहर राशि भी राजसात कर ली जावेगी एवं नवीन अनुबंध से निगम को होने वाली क्षति की वसूली अनुबंधकर्ता इकाई से ही की जावेगी।

8.16 साफ–सफाई के कार्यों के संपादन में सफाई कर्मचारियों द्वारा यदि निगम की संपत्ति को कोई हानि पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति अनुबंधकर्ता इकाई से की जावेगी।

8.17 अनुबंधकर्ता इकाई को प्रभारी अधिकारी के निर्देश पर यदाकदा निगम से संबंद्ध अन्य कोई परिसर जहां साफ–सफाई का कार्य किया जाना हो सकता है, की सफाई करनी होगी इसके लिये निगम द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा एवं इस कार्य को संपादित करने में ऊर्जा भवन की नियमित साफ–सफाई भी प्रभावित नहीं होनी चाहिये।

8.18 ऊर्जा भवन में नियमित एवं सुचारू रूप से साफ–सफाई कार्य जिसका उल्लेख अनुसूची ''अ, ब, स'' में है को संपादित कराने हेतु सफाई कर्मियों एवं सफाई हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री जिसका उल्लेख अनुसूची ''द'' में है के निर्धारण का संपूर्ण अधिकार ऊर्जा निगम को होगा जो अनुबंधकर्ता इकाई को मान्य होगा।

8.19 निविदाकर्ता इकाई द्वारा उसके कर्मचारियों को किये जाने वाले भुगतान मिनिमम वेजेस एक्ट के अन्तर्गत समय–समय पर निर्धारित परिश्रमिक से कम नहीं होगा।

8.20 प्राप्त न्यूनतम दरों पर अन्य अर्हताएं या दरें इतनी कम हों कि कार्य संभव न हो तब प्राप्त निविदा प्रस्ताव को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. को होगा और इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

8.21 विवाद की स्थिति में दोनो पक्ष, अनुबंधकर्ता अधिकारी एवं निविदाकर्ता आपस में विवाद के निपटारे का प्रयास करेगें तथा प्रबंध संचालक म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। समस्त वैधानिक कार्यवाही के लिये न्याययिक क्षेत्र भोपाल रहेगा।

''''''''''''''''

अनुसूची ''अ''

प्रतिदिन किये जाने वाले कार्य

कं	कार्य का विवरण	दिन में किये जाने वाले कार्य अवधि
1	समस्त हॉल / कमरे / कक्ष एवं सभा कक्ष की झाडू से साफ–सफाई फर्नीचर की डस्टिंग एवं फिनाइल से पोछा लगाया जाना।	01 बार
2	भवन के अंदर सभी गलियारों, सीढ़ियों एवं बरांडा की झाडू से साफ–सफाई तथा फिनाईल से पोछा लगाया जाना।	02 बार
3	परिसर में बने सभी प्रसाधन / टायलेटस, यूरिनल्स, वॉशवेसिन एवं जहां–जहां टाईल्स लगी है कि हार्पिक , फिनाईल, एवं पानी से धुलाई एवं पौछा।	04 बार
3	परिसर के समस्त टायलेटस में फिनाईल की गोलियां रखना।	01 बार
4	प्रत्येक कमरे में रद्दी की टोकरी में डाले गये अनुपयोगी कागजों को हटाना।	01 बार
5	अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, अपर प्रबंध संचालक,एवं निजी कक्ष में बने टॉयलेटस में नेपकीन एवं टॉयलेटस पेपर, हैण्डवॉश रखा जाना।	आवश्यकतानुसार
6	ऊर्जा भवन परिसर के बाहर की सड़को, पोर्च, पहुंच मार्ग एवं अन्य स्थल जहां बगीचा नहीं है एवं, नाली की सफाई।	01 बार
7	प्रभारी भवन रखरखाव द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अन्य स्थल पर भी सफाई कर्मी को कार्य पर भेजा जाना होगा।	01 बार

अनुसूची ''ब''

प्रति सप्ताह किये जाने वाले कार्य

कं	कार्य का विवरण
1	ऊर्जा भवन परिसर के समस्त हॉल/कमरे/कक्ष एवं सभा कक्ष के मकड़ी के जालों को हटाया जाना।
2	भवन के दलान एवं कॉरीडोर, गलियारों एवं सीढ़ियों को डिटरजेंट एवं पानी से धोया जाना एवं पोछा लगाया जाना।
3	समस्त हॉल/कमरे/कक्ष एवं सभा कक्ष के खिडकी, दरवाजे एवं कांच की साफ– सफाई, दाग धब्बे हटाना एवं केमिकल की मदद से साफ किया जाना।
4	परिसर के बाहर की दीवारों,शेडस के नीचे, बरामदे की छत की डस्टिंग एवं जहां–जहां मकड़ी के जाले लगे हों हटाया जाना।
4	समस्त कक्ष के फर्नीचर, अलमारी रैक्स की डस्टिंग एवं कोलीन एवं कपडे से साफ किया जाना।
5	भवन के चारों तरफ दीवारों में बनी हुई नालियां एवं बाउन्ड्री वॉल के पास बनी हुई नालियों की सफाई।

प्रति पाक्षिक (प्रति 15 दिवस में) किये जाने वाले कार्य

क्रं	कार्य का विवरण
1	ऊर्जा भवन परिसर के समस्त हॉल/कमरे/कक्ष एवं सभा कक्ष में स्थित पर्दे, सोफे के धाग धब्बों की डस्टिगं वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ किया जाना एवं आवश्यकता पड़ने पर केमिकल की मदद से धाग धब्बे हटाना।
2	ऊर्जा भवन परिसर के समस्त हॉल/कमरे/कक्ष एवं सभा कक्ष में स्थापित कारपेट, फर्श अथवा अन्य किसी वस्तु की सफाई किया जाना होतो उनके धाग धब्बों की डस्टिगं वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ किया जाना एवं आवश्यकता पड़ने पर कैमिकल की मदद से धाग धब्बे हटाना।
3	ऊर्जा भवन परिसर के समस्त हॉल/कमरे/कक्ष एवं सभा कक्ष में स्थापित पंखे, टयूबलाईटस्, बल्ब, प्वाइंट के होल्डर की साफ–सफाई एवं धाग धब्बे हटाना ।
4	ऊर्जा भवन परिसर के समस्त हॉल/कमरे/कक्ष एवं सभा कक्ष में स्थित टायलेट्स के नल की टोंटी, पानी के लिकेज आदि की सफाई।
5	ऊर्जा भवन परिसर के छत की झाडू से साफ–सफाई एवं पानी से धुलाई।

अनुसूची ''द''

सामग्री की सूची

कं	सामग्री का विवरण	मात्रा प्रतिमाह
1	झाडू फूल एवं सींक वाली	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
2	मकडी के जाले निकालने वाली बड़ी झाडू	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
3	फिनाईल	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
4	ऐसिड	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
5	हार्पिक	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
6	डस्टर	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
7	पोछा	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
8	फिनाईल की गोलियां	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
9	कोलीन	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
10	वाशिंग पाउडर	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
11	अध्यक्ष, प्रबंध संचालक एवं अपरप्रबंध संचालक के निजी टॉयलेट्स में नेपकीन एवं टॉयलेट्स पेपर	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
12	वैक्यूम क्लीनर, पर्याप्त बिजली के तार की लंबाई सहित	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
13	ब्लोवर, पर्याप्त बिजली के तार की लंबाई सहित	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
14	बाह्य परिसर की सफाई के लिये डंडे वाला झाडू	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
15	बाल्टीयाँ	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
16	तगाड़ीयाँ	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
17	फावड़ा	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
18	सीढ़ी एवं ऊंचा स्टूल रबर के गुटको ंके सहित	पर्याप्त आवश्यकतानुसार
19	नाली साफ करने के समस्त औजार	पर्याप्त आवश्यकतानुसार

नोटः— उक्त सामग्रियों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सदैव ऊर्जा भवन परिसर में साफ–सफाई के कार्यों को सुचारू रूप से गुणवत्ता अनुरूप संपादित करने हेतु उपलब्ध होनी चाहिये। सामग्री की कमी से सफाई की गुणवत्ता प्रभावित होने पर निविदा शर्तोनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

अनुसूची ''ई''

म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि0

ऊर्जा भवन मुख्य मार्ग कं 2, शिवाजी नगर, भोपाल

वित्तीय प्रस्ताव

कं	कार्य का विवरण	प्रतिमाह दर (जी.एस.टी. अतिरिक्त)
1	ऊर्जा भवन परिसर में साफ–सफाई का कार्य जो निविदा की कार्य अनुसूची ''अ, ब, स'' एवं सफाई हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री जो अनुसूची ''द'' में उल्लेखित है एवं कार्य की शर्तों के अनुरूप प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक साफ–सफाई का संपूर्ण कार्य संपादित करने के लिये।	

उक्त समस्त कार्यों हेतु जिसमें सामग्री की कीमत, कर्मचारियों का पारिश्रमिक (मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत) एवं समस्त वैधानिक कर एवं डयूटी (जी.एस.टी. छोडकर) सम्मिलित है, उक्त दरें दी गई हैं एवं मुझे/इकाई को स्वीकार हैं।

भोपाल दिनांक.........

निविदाकर्ता का नाम ....

हस्ताक्षर ....

सील एवंदिनांक ....

पता :– ....

....

दूरभाषक्रमांक ....

मोबाईल नंबर ....

अभिवचन

1. मैं/हम अभिवचन करते है कि मैने/हमने निविदा की शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा निविदा में उल्लेखित कार्य को समझ लिया है।
2. मैं/यह अभिवचन करते हैं कि हमारा कोई निकट संबंधी म.प्र. ऊर्जा विकास निगम में कार्यरत नहीं है।
3. हम यह भी अभिवचन करते है कि इस निविदा में दी गई जानकारियाँ सत्य/ सही है तथा इसके लिए मैं/हम जिम्मेदार है।
4. हम यह भी अभिवचन करते है कि किसी भी शासकीय अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल आदि द्वारा इस कार्य हेतु हमें ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया।

दिनांकः

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

अनुसूची–1

निविदा हेतु पात्र इकाइयों की चेक लिस्ट

	हाँ	हाँ	˙ वांछित दस्तावेज (अपलोड करें)
निविदाकर्ता इकाई के जी.एस.टी. क्रमांक की प्रति			
इकाई के पेन नंबर की प्रति			
साफ–सफाई कार्य का शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कार्यादेश / अनुभव प्रमाण पत्र एवं विगत तीन वर्ष का टर्नओवर सी.ए.प्रमाण पत्र एवं बैलेंस शीट			
इकाई का स्थाई कार्यालय होने का प्रमाण पत्र			
निविदा दस्तावेज का मूल्य रूपये रू. 5900 / – (रूपये पाँच हजार नौ सौ 18% GST सहित) एवं धरोहर राशि रूपये 50,000 / –(रूपये एक लाख मात्र) का भुगतान ऑनलाईन नेट बैंकिंग / NEFT/ RTGS का प्रमाण			

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

अनुसूची–2

निविदाकर्ता के संबंध में जानकारी
ऊर्जा भवन की साफ–सफाई कार्य बाबत् निविदा

1. निविदाकर्ता का नाम : ....

2. निविदाकर्ता का पता (मय दूरभाष एवं मोबाईल नं. के)

....

....

....

3. स्थाई कार्यालय का दूरभाष क्रमांक एवं मोबाईल नं.

....

4. निविदाकर्ता इकाई का प्रकारः

(जैसे–व्यक्ति या पार्टनरशिप फर्म या कंपनी)

....

5. (अ) निविदाकर्ता का पेन क्रमांक :..
(अपलोड करें)
(ब) निविदाकर्ता का जीएसटी क्रमा ंक : ....
(अपलोड करें)

6. निविदा के संबंध में अन्य कोई सूचना जो निविदाकर्ता इकाई के मत में महत्वपूर्ण हो।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांकः / /